भारत सरकार

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न सं0 9**

05.12.2013 को उत्तर के लिए

**पोलावरम परियोजना के कारण समस्या**

**\*9 . श्री पलवई गोवर्धन रेड्डी :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि पोलावरम परियोजना के निर्माण के परिणामस्वरूप 300 से भी अधिक जनजातीय गांव जल-मग्न हो जाएंगे और आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में ही 2 लाख लोग विस्थापित हो जायेंगे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस परियोजना के संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त की है, यदि हां, तो उपरोक्त क्रमश : भाग (क) और (ख) के संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में क्या-क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार ने उच्चतम न्यायालय में मामला उठाया हैं, यदि हां, तो इस मुद्दे के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन)**

(क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

\*\*\*\*\*\*\*\***''पोलावरम परियोजना के कारण समस्या'' के संबंध में दिनांक 05.12.2013 को उत्तर के लिए श्री पलवई गोवर्धन रेड्डी द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. \*9 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।**

 (क) आंध्र प्रदेश में पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के कारण पश्चिमी गोदावरी जिले में 29 गांवों, पूर्वी गोदावरी जिले में 42 गांवों और खम्मम जिले में 205 गांवों के जलमग्न होने की आशंका है । इस परियोजना के निर्माण के परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश राज्य में कुल लगभग 1,77,275 व्यक्ति प्रभावित होंगे ।

(ख) और (ग) ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों ने पोलावरम परियोजना के कार्यान्वयन पर आपत्तियां उठाई हैं क्योंकि इसके कारण उनके राज्यों में भी कुछ भाग जलमग्न हो जाएंगे । इस मुद्दे का निराकरण करने और इन राज्यों में जलमग्नता की ऐसी स्थिति को टालने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में सिलेरू और सबेरी नदियों के तटों पर सुरक्षित तटबंधों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है । आंध्र प्रदेश सरकार ने इन दो राज्यों में परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्व्यस्थापन और पुनर्वास (आर एण्ड आर) योजना भी प्रस्तावित की है ।

 ईआईए अधिसूचना, 2006 के अनुसार, आंध्र प्रदेश सरकार को प्रस्तावित सुरक्षित तटबंधों के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जन सुनवाई का आयोजन सुनिश्चित करने और जन सुनवाईयों के परिणाम संबंधी सूचना मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था । छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों में उक्त जन सुनवाईयां आयोजित की जानी बाकी है, हालांकि आंध्र प्रदेश सरकार इन दोनों राज्यों सरकारों को ऐसा करने के लिए अनुरोध कर रही है ।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य ने पर्यावरणीय स्वीकृति, आर एण्ड आर स्वीकृति, वन स्वीकृति, टीएसी स्वीकृति को रद्द करने के अलावा और पोलावरम परियोजना पर आगे और निर्माण हेतु आंध्र प्रदेश राज्य को रोकने के व्यादेश और अंतरिम एक पक्षीय रोक और परियोजना के निर्माण पर स्थायी निषेधाज्ञा के लिए निवेदन करते हुए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में दिनांक 20-08-2011 को 2011 का ओ एस सं. 3 दाखिल किया है । मूल मुकदमा - माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित पड़ा हुआ है ।

\*\*\*\*\*\*\*